दिनांक 22.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सफाई कामगारों के वेतन भुगतान में विलंब को लेकर आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को थमाया कारण बताओ नोटिस

भिलाईनगर/ सफाई कामगारों के वेतन भुगतान में हुए विलंब को लेकर आयुक्त श्री एस0के0 सुंदरानी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी आई0एल0 यादव सहित जोन 01 के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक बालकृष्ण नायडू, जोन 03 के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक अनिल मिश्रा एवं जोन 06 के स्वच्छता निरीक्षक जगरनाथ कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी को जारी नोटिस के अनुसार नाली, सड़क, बाजार, डोर टु डोर कचरा संग्रहण, स्वच्छ भारत मिशन के अतिरिक्त गैंग ड्राईवर एवं हेल्पर के रुप में कार्यरत् सफाई कामगारों के नवम्बर माह का पारिश्रमिक भुगतान हेतु नस्ती जोन 01 आयुक्त द्वारा पारिश्रमिक भुगतान की नस्ती परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग को भेजे जाने के उपरान्त परीक्षण पश्चात् नस्ती में हुए विलंब के लिए आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस के माध्यम से कारण पुछा गया है।

इसी तरह स्वच्छता निरीक्षकों को जारी नोटिस में लेख्य किया गया है कि वार्डों में साफ–सफाई कार्य में कार्यरत् अस्थायी सफाई कामगारों का पारिश्रमिक देयक प्रत्येक माह के तीन तारीख तक तैयार कर प्रस्तुत करने एवं 10 तारीख तक भुगतान के निर्देश दिये गये है। किन्तु निर्धारित तिथि में देयक प्रस्तुत नहीं करने के कारण समयानुसार कामगारों का भुगतान नहीं होना पाया गया है जिसके कारण कार्यरत् अस्थायी कामगारों द्वारा वार्ड में साफ–सफाई कार्य प्रभावित कर मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे साफ–सफाई का कार्य एवं स्वच्छता रैकिंग 2019 जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है यह कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

ज्ञात हो कि सफाई कामगारों के पारिश्रमिक भुगतान में हुए विलंब के कारण सफाई कामगारों ने निगम मुख्यालय के गेट में शुक्रवार को एक दिवसीय प्रदर्शन कर निगम प्रबंधन का ध्यानाकर्षण करवाया था। पारिश्रमिक भुगतान में हुए विलंब को आयुक्त ने गंभीर अनियमितता मानते हुए नोटिस में जवाब चाहा है कि उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देश है कि सफाई कार्य में लगे श्रमिक का पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु माह के प्रथम सप्ताह में ही सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। उक्त निर्देश का अवहेलना किया गया हैं। नोटिस में 03 दिवस के भीतर सभी से जवाब मांगा गया है। समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

जनसम्पर्क अधिकारी